राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान

क्रमांकः एफ.18( )श्रम/भनिकम/ जयपुर, दिनांकः

–: अधिसूचना :–

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–22 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) में किये गये प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2009 के नियम–57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान एतद्द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ठ मामलों को अभिकथित करने वाली योजना राज्य सरकार की स्वीकृति एवं मण्डल की 30वीं बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त, निम्नानुसार अधिसूचित करता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना –

1.1 यह योजना **''निर्माण श्रमिक अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना''** कहलाएगी। इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियो तथा उनके बच्चो को अर्न्तराष्ट्रीय खेलो में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

1.2 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(एच) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।

1.3 यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहे हैं।

1.4 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

2 परिभाषाएँ –

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 ''नियम, 2009" का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम,2009 से अभिप्रेत है;

2.3 ''मण्डल'' का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है;

2.4 ''अध्यक्ष'' का आशय अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियुक्त मण्डल अध्यक्ष से अभिप्रेत है;

2.5 ''सचिव'' का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है;

2.6 ''अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता'' से तात्पर्य ऐसी खेल प्रतियोगिताओ से है जो अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलो के लिए मान्यता प्राप्त कमेटी/फेडरेशन/एसोसिऐशन/काउन्सिल द्वारा आयोजित किये जाते है तथा जिनमें विभिन्न देशो के खिलाडी शमिल होते है, इसके अन्तर्गत किसी संस्था/प्रायोजक द्वारा आयोजित लीग अथवा टूर्नामेन्ट शामिल नहीं है।

2.7 ''परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन'' उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

3 योजना में देय हितलाभ –

इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चो को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी :–

i. प्रतियोगिता में भाग लेने पर – रूपये 2,00,000/–
ii. कांस्य पदक प्राप्त करने पर – रूपये 5,00,000/–
iii. रजत पदक प्राप्त करने पर – रूपये 8,00,000/–
iv. स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – रूपये 11,00,000/–

4 पात्रता एवं शर्तें –

4.1 इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिक के अविवाहित पुत्र एवं पुत्री भी योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होगे।

4.2 किसी भी ऑनलाईन गेमिंग/बैटिंग संबंधी प्रतियोगिता हेतु योजना के प्रावधान लागू नहीं होगे।

4.3 अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था द्वारा डोपिंग के कारण किसी खिलाड़ी को अमान्य घोषित किये जाने अथवा जीते गए पदक को अमान्य/वापस लिए जाने की घोषणा के उपरान्त योजनान्तर्गत कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

4.4 हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन में दी गई सूचनाओ में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा।

5. आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया व स्वीकृतकर्ता अधिकारी –

5.1 हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाईन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

5.2 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट की अवधि पूर्ण होने की तिथी से 6 माह की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी :– स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी परीक्षण एवं पूर्ण संतुष्टि उपरांत स्वीकृति जारी की जायेगी।

5.4 प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थी के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से हस्तान्तरित की जायेगी।

6. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः–

6.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।

6.2 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा जनआधार कार्ड की प्रति।

6.3 हिताधिकारी के बचत बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएस कोड अंकित हो) की प्रति।

6.4 अन्तराष्ट्रीय खेल आयोजित करने वाली कमेटी/फेडरेशन/एसोसिऐशन/काउन्सिल द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति

7. विसंगति का निराकरण –

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

(प्रतीक झाझड़िया)
श्रम आयुक्त एवं सचिव,
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल

क्रमांकः एफ.18(1)श्रम/भनिकम/2015/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
11. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं नियोजन तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. श्री/श्रीमति/सुश्री.....(मण्डल सदस्य)
13. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
15. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, ... (समस्त)।
16. श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।
17. लेखाधिकारी (मण्डल)
18. ACP मुख्यालय को योजना की प्रति व योजना का आवेदन LDMS पर तथा विभाग की वेबसाइट पर डलवाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल